ORM No. III

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरि राम मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या- 84/2019 (223 आर.टी. एक्ट)
सी.सी.एम.एस संख्या- 2019/00183

मध्य

1. निराशकंवरी पत्नी जगमोहन जाति मीना निवासी [illegible] तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. प्यारेलाल पुत्र हरकेशराम जाति मीना निवासी [illegible] का पुरा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।

अपीलांट/अपीलार्थीगण।

बनाम

1. रामचरण पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी [illegible] तहसील टोडाभीम जिला करौली।

रेस्पोन्डेन्ट/वादी

2. रामसिंह
3. रामचरण
4. शंकर
5. भरतू
6. भगवानसहाय

} पिसरान शिब्बूराम

7. भरतलाल पुत्र रामसहाय

समस्त जाति मीना निवासीगण हीद का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

8. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर करौली
10. हरगोजी पत्नी शिब्बूराम जाति मीना निवासी हीद का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली ।

...तरतीबी रेस्पोन्डेन्टस।

उपस्थितः-

1. श्री रामवतार गुप्ता अधिवक्ता [illegible]
2. श्री सुनील [illegible] 10।
3. पेशकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:20 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

विजयलक्ष्मी बनाम रामचरण
अपील संख्या 64/2019

—:: निर्णय ::—

दिनांक:14.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड टोडाभीम जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 03/2011 बउनवान रामचरण बनाम रामसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि आराजी ख0नं0 250 रकवा 0.30 है, 251 रकवा 0.20 है0 कुल किता 2 रकवा 0.50 है0 ग्राम चूडा मे वादी हिस्सा 1/4 प्रतिवादी न0 5 मस्तलाल 3/4 हिस्से के रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0नं0 252 रवा 0.01 है 253 रकबा 115 है0 कुल किता 2 कुल ,रकबा 115 है0 ग्रान चूडा में बादी 5/23 हिस्से का प्रतिवादी नंबर 5 के मृतक पिता शिब्बूराम का 9/23 हिस्सा तथा प्रतिवादी नंबर 7 का 9/23 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है बादी एवं प्रतिवादी न० 1 ता 7 मे सुविधाअनुसार मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है हिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है। बादी के हिस्से में ख0नं0 251 रकबा 0.20 है0 खसरा नंबर 252, 253 के 5/23 हिस्से मे से वादी का पाडला रोड के सहारे कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 5 ता 8 खसरा नंबर 253 जो कि रोड के सहारे की जमीन है पर कब्जा करना चाहते है। खातेदार शिब्बू की मृत्यु हो चुकी है जिनके कायम मुकाम वारितान प्रतिवादी न० 1 ता 5 को बनाया गया है। आराजी न0 250 रकबा 0.30 है0, 251 रकबा 0.20 कुल किता 2 रकवा 0.50 है, ग्रान भूडा में वादी हिस्सा 1/4 एवं आराजी ख0नं0 252 रकवा 0.01 है0, 253 रकबा 1.15 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 ग्राम भूडा में वादी का हिस्सा 5/23 अलग कराए जाने हेतु प्राथमिक डिक्री फरमाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम मंगवाई जाये और प्रतिवादीगण को बादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न करने हेतु पाबन्द फरमाया जाये। मातहत अदालत ने दिनांक 29.07.2018 को निर्णय पारित कर दावा स्वीकार कर लिया तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय के हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट नं० 1 विजयलक्ष्मी विवादित भूमि में खसरा नं० 254 में हिस्सा 1/2 तथा खसरा नं0 252, 253 में हिस्सा 9/23 की खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी में इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। अपीलान्ट विजयल[illegible] व अन्य सहखातेदारान जो रेस्पोडेन्ट है, उनके मध्य आपसी सहमति से उक्त भूमि का मौके प[illegible]हा है। अपीलान्ट की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Har[illegible] Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:20 IST
Reason: SelfAttested

62

व कब्जा खसरा न0 254 रकबा 0.14 है0 के सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नं0 252 में रकबा 0.01 हैक्टयर व खसरा न0 253 मे पाडला रोड व कॉलेज की तरफ है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जानकारी किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैध व गैर कानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.06.2018 अपास्त किया जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

4. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। दिनांक 06.08.2019 को जानकारी प्राप्त हुयी तब नकल का आवेदन पेश किया, नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर म्याद 2 माह में पेश की गई।

5. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

6. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

7. अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन
है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में
हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना
पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

8. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक
है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित
किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण
अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी
मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त
प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी
आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05
लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

9. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
कथन किया कि अपीलांटस् व रेस्पो0 02 लगायत 07 व 10 के मध्य आपसी सहमति
से पूर्व मे ही बंटवारा हो चुका है। सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे
है। रेस्पो0 01 की आराजीयात रोड के सहारे न होकर पहाड की तरफ है तथा
सिंचाई नहर के उपर की तरफ है। मातहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नही

62

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:20 IST
Reason: SelfAttested

2019/00193

किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.06.18 को अपास्त फरमाया जावें।

10. जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 29.06.18 पूरी तरह से सही है। अपील मात्र रेस्पोडेन्टगण को बेवजह परेशान करने के लिए की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

11. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

12. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम भूडा पटवारा हल्का भूडा तहसील टोडाभीम अनुसार खसरा नंबर 254 रकबा 0.14 है0 में अपीलांटा विजयलक्ष्मी पत्नी जगमोहन जाति मीना हिस्सा 1/2 तथा खसरा नंबर 252 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 253 रकबा 1.15 है0 मे विजयलक्ष्मी पत्नी जगमोहन जाति मीना का हिस्सा 9/23 दर्ज रिकांर्ड है। अपील मीमों का मुख्य आधार अपीलांट के विरूद्व दिनांक 26.06.12 को एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के उपरान्त पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनाक 29.06.2018 प्रकरण संख्या 03/2011 में **"मीटस् एण्ड बाउण्ड"** के आधार पर विभाजन स्कीम तैयार करने के आदेश दिए है।अपील लगभग 06 वर्ष बाद एकपक्षीय कार्यवाही को सेट–असाईड करने के लिए यह अपील की गई है। परन्तु यहां अधिवक्ता प्रतिवादी/अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नही किए जाने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

13. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह पाया गया कि अधिवक्ता की लापरवाही का खामियाजा पक्षकार नही भुगत सकता इसलिए देरी के समय को क्षम्य करते हुए अपीलांटगण के विरूद्व अदालत मातहत के आदेश दिनांक 26.06.2018 की एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाती है। चूंकि प्राथमिक डिक्री **"मीट्स एण्ड बाउण्ड"** के आधार पर की गई है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अदालत मातहत को निर्देशित किया जात है कि प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई का मौका दिया जाकर उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 पर उचित निर्णय [illegible]। अपीलांटगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत [illegible] में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16.03.202[illegible] को उपस्थित होवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:20 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दिनांक 14.02.2021 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:20 IST
Reason: SelfAttested